

Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Railways/Rail Mantralaya  
Railway Board

.....

R.B.E No. 61/2013

No.E(G)2009 QR-1-2

New Delhi, Dated:01.07.2013

The General Managers,  
All Indian Railways and  
Production Units (others as per standard list).

Sub: Extension of the period of retention of Railway accommodation at the previous place of posting in favour of officers/staff posted to ECR & NWR.

Ref: Board's letter No.E(G)2009 QR-1-2 dated 24.05.12.

The issue of permitting the Railway Officers/Staff posted in the ECR and NWR to retain Railway quarters at their previous place of posting beyond 31.03.13 has been considered by the Board.

2. In exercise of its powers to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees, in all or any of the existing provisions regarding house allotment/retention, the Board has decided **that permission for retention of Railway accommodation at the previous place of posting in favour of officers/staff posted to ECR and NWR be further extended upto 31.03.2014.**

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

4. Please acknowledge receipt.



(S.K. Panda)  
Dy. Dir.Estt. (Genl.)

No.E(G)2009 QR-1-2

New Delhi, Dated:01.07.2013

Copy to Deputy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No:224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 46 spares).

  
FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

.....2.....

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 61/2013

सं.ई (जी)/2009 क्यूआर1-2

नई दिल्ली, दिनांक: 01.07.2013

महाप्रबंधक  
सभी भारतीय रेलें एवं  
उत्पादन इकाइयां (मानक सूची के अनुसार)।

विषय: पूर्व मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास को अपने पास बनाए रखने की अवधि बढ़ाना।


संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 24.05.12 का पत्र सं.ई (जी)/2009 क्यूआर-1-2.

बोर्ड द्वारा पूर्व मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में तैनात रेलवे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए उनकी पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे क्वार्टर को 31.03.2013 के बाद अपने पास बनाए रखने की अनुमति देने से संबंधित मुद्दे पर विचार किया गया है।

2. मकान के आबंटन/अपने पास बनाए रखने के बारे में सभी अथवा किन्हीं मौजूदा प्रावधानों में किसी एक श्रेणी/ग्रुप के कर्मचारियों के लिए जन हित में समुचित रियायत प्रदान करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि पूर्व मध्य रेलवे एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे आवास को अपने पास बनाए रखने की अनुमति 31.03.2014 तक आगे बढ़ाई जाए।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

4. कृपया पावती दें।


  
(एस. के. पांडा)

उप निदेशक, स्थापना (सामान्य)

सं.ई (जी)/2009 क्यूआर1-2

नई दिल्ली, दिनांक: 01.07.2013

प्रतिलिपि: भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं.224, रेल भवन, नई दिल्ली (46 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)

  
कृते वित्त आयुक्त/रेलें